UPVR010052342026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट, वाराणसी।

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं**0-1734/2026**

1. संजय कुमार पुत्र रघुनाथ मौर्या, निवासी- जमालपुर, मिर्जापुर, थाना- घोसी, जिला-मऊ।
2. दिनेश चन्द्र पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी- कुतुबपुर अमरपुर, थाना- गंगीरी, जिला- अलीगढ़।
3. प्रशांत शुक्ला पुत्र राजेश शुक्ला निवासी-एस.एन./383, शांतिनगर, सरोजिनी नगर, थाना-सरोजिनी नगर, लखनऊ।

.....आवेदक/अभियुक्तगण।

बनाम

उ०प्र० राज्य .....अभियोजन पक्ष,

अपराध संख्या- 273/2023
धारा- 147, 323,504,352 IPC
व धारा-3(1)(द), 3(1)(ध),3(1)(e),3(1)(v),3(2)(Va) एस.सी./एस.टी. एक्ट
थाना-चोलापुर, जिला-वाराणसी।

दिनांक-**05.06.2026**

आवेदक/अभियुक्तगण संजय कुमार**,** दिनेश चन्द्र व प्रशांत शुक्ला की ओर से उपरोक्त मामले में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण पूर्व आदेशानुसार न्यायालय में आत्म सर्मपण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक/अभियुक्तगण को नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार किया है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति (चमार) का व्यक्ति है समस्त विपक्षीगण सामान्य व पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह कि प्रार्थी तथा विपक्षीगण समस्त वर्तमान समय में केन्द्रीय विद्यजलय आयर में बतौर अध्यापक, लाइब्रेरियन व प्राचार्य के रूप में नियुक्त है व केन्द्रीय कर्मचारी है। प्रार्थी चमार जाति का व्यक्ति है जिसकी वजह से समस्त विपक्षीगण कई माह पूर्व से प्रार्थी को जातिसूचक शब्दों से विद्यालय प्रांगण में मानसिक रूप से प्रताडित करने हेतु अपमानित करते आ रहे है। प्राचार्य अभिषेक त्रिपाठी द्वारा उपरोक्त सभी व्यक्तियों के साथ मिलकर एक नाजाय गोल बनाया गया है तथा सभी व्यक्ति एक राय व एक गोल बनाकर दिनांक 01.04.2023 को व दिनांक 03.04.2023 को जातिसूचक शब्दों की गाली देकर प्रार्थी को अपमानित किये व मारे पीटे तथा दिनांक 06.04.2023 ई को विद्यालय प्रांगण में हैण्डपम्प से पानी पीने से मना किये व बाबा साहब डा भीमराव अम्बेडकर को अपमान जनक गालियां दिये जिसका विरोध करने पर उपरोक्त सभी प्रार्थी को माँ-बहन व चमार अछुत जैसे शब्दों की गालियां देने लगे तथा अभिषेक त्रिपाठी के ललकारने पर उपरोक्त सभी व्यक्ति प्रार्थी को खींचकर कक्षा-2 के कमरे में ले गये तथा शमान्द्र सिंह, संजय प्रार्थी को लात घुसों से मारे-पीटे तथा प्रशान्त व दिनेश ने धक्का देकर जमीन पर पटक कर प्रार्थी का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश किये व प्रार्थी के मुहँ पर थुक दिये। प्रार्थी उक्त घटना की शिकायत उसी दिन सम्बन्धित पुलिस चौकी व थाना चोलापुर पुर में किया तथा दिनांक 07.04.2023 को अपने शरीर के चोटों का मुआयना मण्डलीय अस्पताल कबीर चौरा वाराणसी से कराकर श्रीमान् पुलिस कमिश्नर महोदय, वाराणसी को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन प्रार्थी का मुकदमा थाना चोलापुर वाराणसी में पंजीकृत नहीं हुआ। विपक्षीगण जानबुझकर बाबा साहब डा भीमराव अम्बेडकर को गाली दिये तथा विरोध करने पर प्रार्थी को कक्षा 2 में ले जाकर प्रार्थी का

Digitally signed by SUDHAKAR RAI
Date: 2026.06.08 07:50:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गला दबाकर जान से मारने का प्रयास कि व चमार अछूत की गाली देकर अपमानित कर संज्ञेय अपराध कारित किये हैं।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से जमानत हेतु मुख्य आधार यह लिया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में आवेदक/अभियुक्तगण को गलत एवं विधि विरुद्ध आधारों पर नामित कर दिया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप जैसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में सम्मन आदेश की सत्यप्रति की छायाप्रति जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। वास्तविकता यह है कि वादी मुकदमा तथा आवेदक/अभियुक्तगण केन्द्रीय विद्यालय आयर में बतौर शिक्षक के रूप में तैनात रहे तथा शिक्षा विभाग के मानक के अनुरूप शिक्षा व दीक्षा का कार्य विगत कई वर्षों से करते चले आ रहे है। चूँकि वादी कुंठित मानसिकता का व्यक्ति है तथा प्रतिस्पर्द्धा को लेकर जाति विशेष का लाभ लेते हुये एक भ्रामक तथ्यों को दिखाते हुए माननीय न्यायालय के यहाँ धारा 156 (3) द०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) द०प्र०सं० में जो आरोप लगाया गया है वह निराधार व अमान्य है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार के जातिसूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, न ही वादी मुकदमा के साथ मारपीट या गाली-गलौज किया गया है। वादी मुकदमा ने आडियो क्लीप जो कि शिक्षकों के वाट्सअप ग्रुप(केन्द्रीय विद्यालय आयर) में आडियो चलने की घटना को लेकर आवेदक/अभियुक्तगण से काफी वैमनस्यता पाल लिया और जाति विशेष का लाभ लेते हुए सभी लोगों को नामित कर फर्जी व मनगढ़न्त कहानी के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। वादी द्वारा कथित घटना के क्रम में विद्यालय परिसर में लगे सी०सी०टी०वी० फुटेज में घटना उपरोक्त के संबंध में किसी भी साक्ष्य का सही होना नहीं पाया गया है जिसके यह प्रमाणित हो सके कि आवेदक/अभियुक्तगण पर लगाया गया कथित आरोप सही है। मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में विवेचनाधिकारी द्वारा समस्त साक्ष्यों का संकलन करते हुये किसी प्रकार के अपराध को न पाते हुये अंतिम रिपोर्ट दिनांक 09.09.2023 को विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० के यहाँ प्रेषित कर दिया गया है। वादी मुकदमा द्वारा अंतिम रिपोर्ट को चुनौती देते हुये प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया जिस पर बिना किसी साक्ष्य का संकलन करते हुये सरसरी तौर पर आवेदक/अभियुक्तगण को तलब कर लिया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण अपना-अपना जमानत एवं मुचलका देने को तैयार है। अतः उसे रिहा किया जाये।

उक्त के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि यह उनका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र नहीं है। उक्त अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में दाखिल किया गया है। उ जमानत प्रार्थनापत्र गुण-दोष के आधार पर दिनांक-30.04.2026 को निरस्त कर दिया गया है। आदेश की फोटोप्रति उक्त आपत्तिपत्र के साथ संलग्न है। अभियुक्तगण जानबुझकर संविधान रचयिता बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेडकर को गाली देकर घोर अपराध कारित किये हैं। माननीय न्यायालय द्वारा खुद कहा गया है कि अभियुक्तगण के खिलाफ एस.सी./एस.टी. की धारायें साबित हो चुकी हैं तथा इसी आधार पर दिनांक-30.04.2026 को अभियुक्तगण प्रशांत शुक्ला, संजय कुमार व दिनेश चन्द्र का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में निरस्त किया गया है इसलिए अभियुक्तगण जमानत पाने के हकदार नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अभियुक्तगण प्रशांत शुक्ला, संजय कुमार एवं दिनेश चन्द्र का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले मे एफ.आई.आर. दर्ज किया गया था जिस पर विवेचक द्वारा विवेचना किया गया और कोई अपराध का कारित होना नहीं पाया गया था। अतः न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गयी थी। न्यायालय द्वारा साक्ष्य पर्याप्त पाते हुए अभियुक्तगण को तलब किया गया था। प्रस्तुत मामले में सभी अभियुक्तगण केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक है तथा अभियुक्तगण की तरफ से यह भी कथन किया गया कि एक आडियो परिवादी द्वारा वायरल किया गया है। जिस पर प्रधानाचार्य द्वारा परिवादी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा एक जाँच कमेटी गठित की गयी है और जाँच कमेटी में जितने सदस्य हैं, परिवादी द्वारा सबके खिलाफ एफ.आई.आर. करा दिया गया। विवेचक द्वारा सी.सी.टी.वी. फुटेज में घटना का होना नहीं पाया गया। इस संबंध में परिवादी की तरफ से बहस किया गया कि उक्त सी.सी.टी.वी. फुटेज विवेचक कहाँ से प्राप्त किया व उसका सही उपयोग नहीं किया, अतः साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, परन्तु इस स्तर पर सी.सी.टी.वी. फुटेज की वैधता का परीक्षण साक्ष्य लेकर किया जाना न्यायोचित नहीं है। यह विचारण का विषय है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा अंतरिम जमानत पर रहने के दौरान अंतरिम जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। अतःमामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण संजय कुमार, दिनेश चन्द्र व प्रशांत शुक्ला प्रत्येक के द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक के द्वारा मुब०-50,000/-(पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाता है कि अभियुक्तगण विचारण में सहयोग करेंगे तथा मामले से सम्बन्धित किसी साक्षी को आतंकित व प्रभावित नहीं करेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा जो जमानत प्रतिभू अंतरिम स्तर पर दाखिल की गयी थीं वे यथावत बनी रहेंगी। अभियुक्तगण द्वारा पुनः 50,000/-(पचास हजार रुपये) रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल किया जाये।

दिनांक–05.06.2026

(सुधाकर राय)
विशेष न्यायाधीश
एस०सी०/एस०टी० एक्ट.
वाराणसी।
जे०ओ० कोड–6256